**भाग - II**

**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक प्रथम सितम्बर, 2015

**संख्या लैज. 8/2015.**–दि हरियाणा प्राइव्–इट यूनिवॅःस्–इटिज (ॲमे'न्डमेन्ट) ऑःड्इनॅन्स, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 अगस्त, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

**2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2**

**हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015**

**हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,**

**2006, को आगे संशोधित**

**करने के लिए**

**अध्यादेश**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

**1.** यह अध्यादेश हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

**2.** हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :– 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

**''2. नोरथकैप विश्वविद्यालय जिला गुड़गांव''।**

चण्डीगढ़:
दिनांक 28 अगस्त, 2015.

प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

LEGISLATIVE DEPARTMENT

**Notification**

The 1st September, 2015

**No. Leg. 14/2015.—** The following Ordinance of the Governor of Haryana is pleased to exercise power under article 213(2)(b) of the Constitution of India hereby withdraws, on the 1st September, 2015 and is hereby published for general information :-

**HARYANA ORDINANCE NO. 5 OF 2015**

**THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)**

**ORDINANCE, 2015**

Whereas, the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Whereas, the State Government intends to place an appropriate Bill before the State Legislature, therefore, the Governor of Haryana is satisfied that there is no necessity of continuation of the Haryana Ordinance No. 5 of 2015 *vide* which section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 was tended to be amended.

Now, therefore, the Governor of Haryana is pleased to exercise power under article 213 (2) (b) of the Constitution of India hereby withdraws Haryana Ordinance No. 5 of 2015.

Chandigarh :
The 1st September, 2015.

PROF. KAPTAN SINGH SOLANKI,
Governor of Haryana.

KULDIP JAIN,
Secretary to Government Haryana,
Law and Legislative Department.

53660-L.R.-H.G.P., Chd.